

मैसर्स पॉवर बिल्ड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड,
नं. 4-एम, किएब्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया,
ग्राम येडेहल्ली, डाबास्पेट, बँगलोर

...अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, प्रतिरापवंचन, जोधपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी

अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 133/अ.प्रा.-1/आरवैट/जयपुर/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम " कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत कायम मांग राशि रूपये 4,70,300/- को विवादित करने पर अपील अस्वीकार की जाकर मांग यथावत रखी है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी दिनांक 20.03.2016 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय वृत-प्रतिरापवंचन, जोधपुर द्वारा वाहन संख्या आरजे 19 जीई 2658 को बँगलोर से जोधपुर के लिये बैटरी परिवहानित करते हुये चैक किया गया। परिवहानित माल बैटरी के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मैसर्स डी.एच.टी.सी. लोजस्टिक लिमिटेड की बिल्टी सं 404486, 404687 व 404688 दिनांक 16.03.2016 तथा मै. पॉवर बिल्ड बैटरीज प्रा.जि. बँगलोर द्वारा जीर तत्संबंधी बिल क्रमांक 404, 405 व 406 जोकि कण्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, उ.प.रेलवे, जयपुर/जोधपुर को जारी किये गये है, कुल कीमतन रु 1567665/- पेश किये गये। जांच अधिकारी द्वारा परिवहानित माल बैटरी को अधिसूचित वस्तु 'इलैक्ट्रिकल गुडस' मानते हुए वेट प्रपत्र 47ए वाहन चालक से मांगा गया, जोकि वक्त परिवहन वालन चालक के पास उपलब्ध नहीं था। जांच अधिकारी ने अधिसूचित वस्तु 'बैटरी' (इलैक्ट्रिकल गुडस) को बिना घोषणा प्रपत्र वेट 47ए के राज्य में परिवहानित किये जाने को, करापवंचन का कृत्य मानते हुये, धारा 76(6) के अन्तर्गत

2/

लगातार

2

शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की अनुशंषानुसार 'बैटरी' (इलैक्ट्रिकल गुडस) को बिना 47/47ए राज्य में परिवहनित किये जाने को धारा 76(2) एवं नियम 53 का उल्लंघन किया जाना मानते हुये, शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह उल्लेखित करते हुये कि आयातित माल इलैक्ट्रिकल गुडस की श्रेणी में नहीं आती है, तथा आयातकर्ता डिप्टी चीफ मैटेरियल मेनेजर, उ.प.रेलवे, जोधपुर, जो कि अपंजीकृत है, के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये मंगवायी गयी हैं, इसलिये वैट-47/47ए, अनिवार्य नहीं है, जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए, धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू 4,70,300/- आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करते हुए मांग यथावत रखी है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज की जाकर रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा राज्य में प्रेषित माल 'बैटरी' है, जो कि 'इलैक्ट्रिकल गुडस' नहीं है। 'बैटरी, विद्युत ऊर्जा' प्रदान करती है। इसके संचलन या कार्यशील होने के लिये बिजली की आवश्यकता नहीं है, जबकि इलैक्ट्रिकल गुड्स यथा बल्ब, ट्यूब्स इत्यादि के संचलन/कार्यशील होने के लिये विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती हैं वैट अधिनियम की कर दर अनुसूची पंचम में बैटरी और इलैक्ट्रिकल गुडस के लिये पृथक-पृथक कर दर अधिसूचित है, जो यह प्रकट करते है कि बैटरी इलैक्ट्रिकल गुडस से भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार यदि विधायिका की मंशा बैटरी पर वैट 47 की अनिवार्यता लागू करने की होती तो इलैक्ट्रिकल गुडस के साथ बैटरी को भी शामिल किया जाता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में ACTO AE Circle 1 Jaipur Vs M/s Padam Prabhu Marketing (2006) 15 TUD 115, ACTO FS Raniwara, Jalore Vs Agarwal Plywood Industries (2012) 32 TUD 243 (Raj) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि धारा 76(6) के प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों को वस्तु/संव्यवहार की श्रेणी निर्धारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। वक्त चैंकिंग परिवहनित माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न थे। सशक्त अधिकारी द्वारा माल के साथ संलग्न दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल वस्तु की श्रेणी के निर्धारण के संबंध में मत विभिन्ता होने मात्र से माल के साथ वक्त चैंकिंग वैट-47ए साथ में नहीं पाये जाने से शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अस्वीकार की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के अन्तर्गत राज्य में आयातित माल के परिवहन के दौरान घोषणा प्रपत्र वैट-47 संलग्न होने के लिये अधिसूचित वस्तुओं की सूची का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त सूची में क्रम संख्या 9 पर प्रविष्टि "All types of Electrical Goods including U.P.S. and CVTS" अंकित है। आयातित वस्तु "बैटरी" है। अपीलार्थी व्यवहारी का तर्क है कि बैटरी व इलेक्ट्रिकल वस्तुओं का अनुसूची V में अलग-अलग उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों वस्तुएं अलग-अलग हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अमान्य करते हुए, उक्त आयातित वस्तु लीड एसिड बैटरी को इलेक्ट्रिकल वस्तु होना माना है। इस प्रकार विवादित बिन्दु यह है कि आयातित वस्तु बैटरी इलेक्ट्रिकल वस्तु की श्रेणी में है या नहीं। विवादित बिन्दु अधिनियम एवं अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांतो पर विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टांत (2002) 4 SCC 297 **Grasim Industris Ltd. Vs. Collector of Customs, Bombay** में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

"The elementary principle of interpreting any word while considering a statute is to gather the mens or sentential legis of the legislature. Where the words are clear and there is no obscurity, and there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to take upon itself the task of amending or alternating (sic altering) the statutory provisions. Wherever the language is clear the intention of the legislature is to be gathered from the language used. While doing so, what has been said in the statute as also what has been said has substitution of words or which results in rejection of words has to be avoided."

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 4 SCC 534 **Gurudevadatta Vks -Maryadit & Ors. Vs State of Maharashtra & Ors** में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

"It is a cardinal principle of interpretation of statute that the words of a statute must be understood in their natural, ordinary or popular sense and construed according to their grammatical meaning, unless such construction leads to some absurdity or unless there is something in the context or in the object of the statute to suggest to the contrary. The godlen rule is that the wrods of a statute must prima facie be given their ordinary meaning. It is yet another rule of construction that when the words of the statute are clear, plain and unambiguous, then the courts are bound to give effect to that meaning, irrespective of the consequences. It is said that the words themselves best declare the intention of the law giver. The courts have adhered to the principle that efforts should be made to give meaning to each and every word used by the legislature and it is not a sound principle of construction to brush aside words in a statute as being in apposite surpluses, if they can have a proper application in circumstances conceivable within the contemplation of the statute."

उपरोक्त न्यायायिक दृष्टांतो से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिनियम की व्याख्या करते समय सामान्य बोलचाल की भाषा व समझ के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए तथा यदि विधिक प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख हो तो लिखित शब्दों के अनुसार अर्थ लिया जाना चाहिए। अधिनियम की अनुसूची V की क्रम सं. 21 में इलेक्ट्रिकल्स वस्तुओं का उल्लेख है तथा क्रम सं. 9 पर बैटरीज का उल्लेख है। इस प्रकार अधिनियम की

अनुसूची में दोनों प्रकार की वस्तुओं का अलग-अलग उल्लेख है। अधिनियम में किसी एक स्थान पर उल्लेखित प्रावधान की जो व्याख्या/अर्थ लिया जाता है, वही प्रावधान यदि उसी अधिनियम में अन्य स्थान पर आता है तो उसकी व्याख्या पूर्वानुसार ही की जानी चाहिए। जब अनुसूची V में दोनों वस्तुएं अलग-अलग प्रदर्शित हैं व उसी अनुसार अर्थ लिया जाता है तो अधिसूचनाओं में भी दोनों वस्तुएं अलग-अलग प्रदर्शित की जानी चाहिए थी व अनुसूची के अनुसार ही अर्थ लिया जाना चाहिए था। राज्य में आयातित माल के परिवहन के दौरान घोषणा प्रपत्र वैट-47 संलग्न होने के लिये अधिसूचित वस्तुओं की सूची में यदि बैटरी शब्द का उल्लेख नहीं है तो इसका तात्पर्य यही लिया जायेगा कि बैटरी अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं है। ऐसी स्थिति में बैटरी को इलेक्ट्रिकल्स गुड्स की विस्तारित परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बैटरी अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं है तथा इसके परिवहन के लिये वैट-47/47ए साथ में होना आवश्यक नहीं था। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करना एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि करना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम
(नत्थूराम)
सदस्य